निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1933 (श0)

(सं0 पटना 97)   पटना, सोमवार, 28 मार्च 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

18 मार्च 2011

एस0ओ0 25, दिनांक 28 मार्च 2011—मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (1994 का अधिनियम सं0-10) की धारा-30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य के प्रत्येक सत्र खंड के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत दायर वादों के त्वरित विचारण हेतु मानवाधिकार न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

2. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-7/2010/1607/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र

सरकार के सचिव।

18 मार्च 2011

एस0ओ0 26, एस0 ओ0 25, दिनांक 28 मार्च 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-7/2010/1607/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र

सरकार के सचिव।

The 18th March 2011

S. O. 25, dated the 28th March 2011—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (Act No. 10 of 1994) the State Government, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, is pleased to designate the court of 1st Additional District and Session Judge in each of the session division of the state as Human Rights Court for the speedy trial of the cases under the Protection of Human Rights Act, 1993.

2. This notification shall come into force with effect from the date of publication of notification in Gazette.

(File No.-A/Act-07/2010/1607/J.)

By Order of the Governor of Bihar,

RAJENDRA KUMAR MISHRA,

Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 97-571+100-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार

विधि विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

पटना, दिनांक....................

एस0ओ0.. पटना, दिनांक..................

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (1994 का अधिनियम सं0-10) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य के प्रत्येक सत्र खंड के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत दायर वादों के त्वरित विचारण हेतु मानवाधिकार न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

2. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-7/2010/............/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-राजेन्द्र कुमार मिश्र

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 प्रति (सॉफ्ट कॉपी) सहित अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कर, इसकी 100(एक सौ) प्रतियाँ विधि विभाग को भेजी जाए।

ह0/-राजेन्द्र कुमार मिश्र

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-2310 दिनांक 10.02.11 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-राजेन्द्र कुमार मिश्र

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 1607 पटना, दिनांक 18.03.11

प्रतिलिपि:-सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.11

(राजेन्द्र कुमार मिश्र)

सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक....................

एस0ओ0............................ दिनांक......................

एस0ओ0...................... दिनांक................... का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-07/2010/........../जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-राजेन्द्र कुमार मिश्र

सरकार के सचिव, बिहार।

NOTIFICATION

Dated......................

S. O.. dated........................

In exercise of the powers conferred by section-30 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (Act No.-10 of 1994) the State Government, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, is pleased to designate the court of 1st Additional District and Session Judge in each of the session division of the state as Human Rights Court for the speedy trial of the cases under the Protection of Human Rights Act, 1993.

2. This notification shall come into force with effect from the date of publication of notification in Gazette.

(File No.-A/Act-07/2010/............/J.)

By Order of the Governor of Bihar

Sd/-Rajendra Kumar Mishra

Secretary to Government of Bihar.

Memo No. .... Patna, Dated ....

Copy forwarded to the Superintendent Government Press, Gulzarbagh, Patna with C.D. Copy (Soft Copy) with request to publish it in the forth coming extraordinary Gazette and to sent 100(One Hundred) Copies of the notification to the Law Department.

Sd/-Rajendra Kumar Mishra

Secretary to Government of Bihar.

(P.T.O.)

Memo No. .... Patna, Dated ....

Copy forwarded to the Registrar General, High Court of Judicature at Patna with reference to his letter no.-2310 dated 10-02-11 for information.

Sd/-Rajendra Kumar Mishra
Secretary to Government of Bihar.

Memo No. ....1607.......................... Patna, Dated ...18.03.11....................................

Copy forwarded to the Secretary, Home Department, Bihar, Patna/Secretary, General Administration Department, Bihar, Patna/Secretary, Finance Department, Bihar, Patna/All Divisional Commissioners, Bihar/All District and Session Judges, Bihar/All District Magistrates, Bihar for information and necessary action.

Sd/- 17.3.11

(Rajendra Kumar Mishra)
Secretary to Government of Bihar.

17/3/11